15.5.19 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित है।
प्रार्थना पत्र प्रार्थी के तथ्य, वांछित
अनुतोषादि, रिपोर्ट पेशकार सरकार एवं
प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वांछित
अनुतोष के क्रम में प्रस्तुत दस्तावेजात पर
सम्यक विचार किया गया।

प्रार्थी० द्वारा नक्शा अनुसार नक्शे
में दुरूस्ती का अनुतोष चाहा है।

प्रार्थी० द्वारा साबिक व हाल खसरा
नम्बर का नक्शा पेश किया है, किन्तु
प्रार्थी० द्वारा न तो बन्दोबस्त से पूर्व
की नकल जमाबंदी पेश की और न
ही फर्द मिलान पेश किया, जिसके अनु-
सार यह तय किया जा सके कि
राजस्व नक्शे में किस प्रकार की

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	त्रुटि कारित हुई थी धारा 136 के द्वारा राजस्व अभिलेख में लेखकीय त्रुटियों को दुरूस्त किया जा सकता है। प्रार्थीगण द्वारा वांछित रिलीफ प्रार्थीगण को मात्र कथनाधार पर दिया जाना उचित नहीं पाया जाता है। प्रकरण के गुणावगुण पर सम्यक विचारोपरान्त हम यह पाते हैं, कि प्रार्थीगण के राजस्व अभिलेख में महकमा बन्दोबस्त या रेवेन्यू अहलकारान के द्वारा ऐसी कोई गलती कारित किया जाना प्रमाणित नहीं होता है, जिसे L.R. Act 1956 की धारा 136 के प्रावधानों के तहत दुरूस्त किया जा सके। धारा 136 के माध्यम से मात्र त्रुटियों को ही दुरूस्त किया जाता है। अतः प्रा० पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है। प्रार्थीगण चाहे तो विधि अनुसार घोषणा और दुरूस्ती का दावा पेश कर वांछित अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र होंगे। निर्णय आज दिनांक 15.5.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया। 15/05/19 (चिमनलाल मीणा) R.A.S.	

Scanned by CamScanner